सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
## पीठासीन अधिकारीः– श्री जसमीत सिंह संधू आई0ए0एस0
## राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 33/2018

1– श्रीमती कमला धर्मपत्नि स्व. श्री नाथूलाल जी भांबी आयु 50 साल।
2– दीनदयाल उर्फ दयाल सुपुत्र स्व. श्री नाथूलालजी आयु 25 साल।
3– श्रीमती रेखा पुत्र स्व. श्री नाथूलाल जी पत्नि नेमीचन्दजी आयु 30 साल।
4– सुश्री पार्वती बालिग पुत्री स्व. श्री नाथूलाल जी भांबी आयु 21 साल
समस्त जाति भांबी निवासियान गणेशपुरा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0

————————प्रार्थीगण

ब ना म

1– नाथू बालिग पुत्र रामाजी
2– श्री पांचू बालिग पुत्र रामाजी
3– लक्ष्मण बालिग पुत्र घीसाजी
4– जयराज बालिग पुत्र घीसाजी
5– विनोद बालिग पुत्र पूनाजी
समस्त जाति भांबी निवासियान गणेशपुरा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर
6– राजस्थान सरकार जरिये भूधारक तहसीलदार ब्यावर।

————अप्रार्थीगण

**आवेदन पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जाब्ता दीवानी**

आदेश दिनांक 01-07-2019

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये हैं कि वादीगण की खातेदारी की अन्य आराजी सहित ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का सेदरिया के खसरा संख्या 558 दिनांक 02–14–10 किस्म चाही2, 350 रकबा 00–01–10 किस्म गै0मु0 चाह स्थित है जो वादीगण की खातेदारी व काबिज काश्त निरन्तर बिना किसी बाधा व रूकावट के चले आ रहे हैं व वादी संख्या 1 के अजमेर में नौकरी करने के कारण वादीगण ने गत वर्ष जून 2017 में अपनी उक्त आराजी को अपनी इजाजत व इच्छा से प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि की खड़ाई कर, मात्र कार्तीसरे की फसल काश्त करने के लिय इस शर्त पर दी गई कि उत्पन्न पैदावार का आधा हिस्सा वादीगण को देंगे व आधी पैदावार प्रतिवादी संख्या 1 अपने पास रखेगा, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बेईमानी करने व पैदा हुई फसल ज्वार बाजरा का पूरा आधा हिस्सा न देकर कम हिस्सा दिये जाने के कारण वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व उनके परिवार को वादग्रस्त आराजी से रवाना कर अपना कब्जा बरकरार रख व वादीगण ने इस साल अपनी खातेदारी व कब्जे की वादग्रस्त भूमि को काश्त करने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 को न देकर अपने स्वयं के द्वारा काश्त करने का निश्चय किया, जिस बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 08.05.2018 को वादीगण के पास आया व वादग्रस्त भूमि में इस वर्ष अर्थात 2018 की कार्तीसरे की फसल काश्त करने के लिय बांटे पर लेनी चाही तो वादीगण ने इन्कार कर दिया, तो उस समय प्रतिवादी संख्या 1 नाराज होकर चला गया। वादी संख्या 1 व 2 दिनांक 20.05.2018 को सुबह लगभग 11.00 बजे अपनी वादग्रस्त आराजियात की सार सम्भाल व खड़ाई आदि कराने के लिये खते पर पहुंच, तो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 गलत व गैर कानूनी रूप से वादग्रस्त आराजियात में लाठिया लेकर प्रवेश कर ऐलानिया धमकी दी कि इस साल की फसल तो हम ही काश्त करेंगे व व इसी चाह से पानी का भी उपयोग हम ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाय, हम वादीगण को जबरन अपनी ताकत के बल से बेदखल करके कब्जा करके जबरन काश्त करके रहेंगे। अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से तातस्फीया वाद पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्य 1 से 5 स्वयं,

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

उनके परिवारजन, हाली, रिश्तेदार एजेन्ट अथवा कोई भी व्यक्ति आदि वादग्रस्त कृषि भूमि अथवा उसके किसी भी हक हिस्से में जबरन प्रवेश कर, वादीगण को बेदखल कर कब्जा न करे व न ही करावे व वादीगण के शान्तिमय कब्जे काश्त में किसी भी तरह की दखलंदाजी उत्पन्न न करें। यदि दौराने सुनवाई आवेदन पत्र प्रतिवादी–अप्रार्थी संख्या 1 से 5 अपनी ताकत के बल पर अपने मकसद में सफल हो जावे तो वादीगण को उनकी खातेदारी की वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा जरिये प्रतिवादी संख्या 6 मय पुलिस मदद से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को बेदखल किया जाकर वादीगण को उनकी खातेदारी की भूमि का कब्जा दिलाया जाये।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि वास्तविकता में जो प्रार्थीगण सहित सभी की पूर्ण एवं पर्याप्त जानकारी में प्रारंभ से ही चली आ रही है, वह यह है कि भूमि खसरा संख्या 502 मिन रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं भूमि खसरा संख्या 506 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा की खातेदार काश्तकार श्रीमती भूरी चली आ रही थी। श्रीमती भूरी ने उपरोक्त आराजियात को श्री घीसा पुत्र चन्दासिंह जाति रावत निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील ब्यावर को बेचान कर दी थी। इस कारण उपरोक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार श्री घीसा हो गया। श्री घीसासिंह ने अपने जीवनकाल में ही भूमि खसरा नम्बर 502 मिन रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं भूमि खसरा संख्या 506 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा को अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 व स्व. श्रीमती हमीरी बेवा श्री उजीरा जाति भांबी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.12.1975 के द्वारा विक्रय करते हुए उसका वास्तविक एवं भौतिक रिक्त आधिपत्य भी उक्त क्रेतागण को सुपुर्द कर दिया। तत्पश्चात् खसरा नंबर 502 मिन के नये नम्बर 563 व खसरा नंबर 506 के नये नम्बर 558 कायम किये गये। चूंकि प्रार्थीगण खसरा नंबर 558 व 350 के संबंध में वाद लेकर आये हैं जबकि खसरा नंबर 558 में प्रार्थीगण का किसी तरह का कोई हक अधिकार ही नहीं रहा है, ना ही कोई कब्जा काश्त ही है। उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण ही चले आ रहे हैं तथा वहीं उक्त आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थीगण को खसरा नंबर 558 के संबंध में प्रार्थना पत्र व वाद लाने तथा कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार हासिल नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व वाद इसी आधार पर पोषणीय नहीं होने से सव्यय निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 5 दिनांक 18.12.1975 से ही उपरोक्त आराजी खरा नम्बर 558 पर खुल्लमखुल्ला रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। जिस तथ्य की जानकारी प्रार्थीगण को भी प्रारंभ से ही पूर्ण एवं पर्याप्त रूप से चली आ रही थी व है, जिसे प्रार्थीगण ने भी सही स्वीकार करते हुए कभी कोई एतराज नहीं किया। इस दौरान अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 5 ने समय समय पर उपरोक्त आराजियात पर काफी समय श्रम एवं धनराशि व्यय कर उपरोक्त आराजियात में काफी विकास एवं विस्तार किये हैं जिसकी वजह से उपरोक्त आराजियात काफी अधिक कीमती हो चुकी है तथा प्रार्थीगण अब येनकेन प्रकारेण उपरोक्त आराजियात को हड़पने को उतारू हो रखे हैं। प्रार्थीगण के हक में मौजूदा प्रार्थना पत्र व वाद बाबत् कभी भी कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है तथा प्रार्थीगण ने मूल वाद में वाद कारण उत्पन्न होने की तारीख भी गलत एवं झूठी अंकित की है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण ने मौजूदा प्रार्थना पत्र गलत एवं झूठा तथा उत्तरकर्ता अप्रार्थीगण को हैरान, तंग करने तथा आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रस्तुत किया है जिसका कि उत्तरकर्ता अप्रार्थीगण को मजबूरन प्रतिकार करना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे एवं खर्चे खारिज फरमाया जावे।

.....लगातार

(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् में ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का सेदरिया की जमाबन्दी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 120 में अन्य खसरान् के साथ वादग्रस्त खसरा संख्या 558 व 350 में केवल वादीगण खातेदार दर्ज होना पाया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् में ग्राम गणेशपुरा की जमाबन्दी संवत् 2024–27 के खाता संख्या 85 में अन्य खसरा नम्बरान के साथ साबिक खसरा संख्या 506 रकबा 02–14–10 मु. भूरी बेवा माना भूरी भूरी बेवा हरजी कौम भांबी सा. देह दर्ज होना पाया गया है जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा संख्या 558 बने हैं। अप्रार्थीगण ने बेचाननामा दिनांक 18.12.75 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें घीसासिंह वल्द नन्दासिंह जाति रावत निवासी भोजपुरा तहसील ब्यावर द्वारा खसरा संख्या 502 मिन व 506 को क्रेता श्री नाथू वल्द रामाजी भांबी 1/3 हिस्सा, श्री पांचू वल्द रामाजी 1/3 हिस्सा व श्रीमती हमीरी बेवा उजीराजी भांबी 1/3 हिस्सा निवासियान गणेशपुरा को बेचान किया जाना अंकित है। अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 24 जुलाई 1967 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें श्री नाथू, श्री पांचू पिसरान रामाजी कौम भांबी व श्रीमती हमीरी बेवा उजीराजी भांबी साकिनान गणेशपुरा व श्री घीसासिंह वल्द चन्दासिंह रावत निवासी भोजपुरा के मध्य फसल को बांटे पर लिये जाने का इकरार है, परन्तु उक्त इकरारनामें में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 558 जिसके साबिक खसरा संख्या 506 रहे हैं, का कोई इन्द्राज अंकित नहीं है।

उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजात् में प्रार्थीगण स्वयं खातेदार काश्तकार दर्ज हैं तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् में बेचाननामा दिनांक 18.12.75 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें घीसासिंह वल्द नन्दासिंह रावत द्वारा बेचान किया जाना अंकित है जबकि उक्त भूमि पूर्व जमाबन्दी संवत् 2024–27 में मु. भूरी बेवा माना व भूरी बेवा हजरी कौम भांबी सा. देह के नाम दर्ज रही है। जब उक्त कृषि भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम रही है तो तत्समय के कानून अनुसार स्वर्ण जाति का व्यक्ति इसे नहीं खरीद सकता है जो प्रथम दृष्टया धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है। ऐसी स्थिति में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है एवं प्रार्थीगण के पक्ष में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी साबित होना प्रतीत होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि का अन्तरण स्वर्ण जाति के व्यक्ति को होना धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन होने से तहसीलदार ब्यावर को जांच हेतु मूल वाद में पृथक से पत्र जारी होकर जांच रिपोर्ट मंगवाई जावे। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ताफैसला वाद तक ग्राम गणेशपुरा की वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 558 रकबा 02–14–10 तथा खसरा संख्या 350 रकबा 00–01–10 की रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा दोनों पक्ष उक्त वादग्रस्त आराजियात को दीगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अन्तरण आदि नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 01-07-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

(जसमीत सिंह संधु)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

(जसमीतसिंह संधु)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.02 11:51:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: